भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 272
दिनांक 02.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत नल-जल कवरेज की स्थिति और प्रभाव

272 श्री मिलिंद मुरली देवराः

क्या ***जल शक्ति*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या अक्तूबर, 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15.72 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं;
(ख) परियोजना कार्यान्वयन हेतु राज्यों, जिलों और बस्तियों को प्राथमिकता देने हेतु कौन-कौन से मानदंड अपनाए गए हैं;
(ग) वर्ष 2026 में नल-जल कवरेज और सेवा क्षमता में अनुमानित वृद्धि कितनी है;
(घ) अब तक मिशन के तहत कुल कितने व्यक्ति-वर्ष रोजगार उत्पन्न हुआ है; और
(ङ) क्या सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जल-गुणवत्ता निगरानी और समुदाय-स्तर पर परीक्षण के लिए तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन (55 एलपीसीडी बीआईएस: 10500 मानक पर) प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है। प्रगति उल्लेखनीय रही है: अगस्त 2019 में 3.24 करोड़ (16.71%) कनेक्शनों से शुरू होकर, यह संख्या 29 जनवरी, 2026 तक 15.79 करोड़ (81.57%) से अधिक परिवारों पर पहुंच गई है, जिससे ग्रामीण भारत के अधिकांश लोगों को जल आपूर्ति प्राप्त हो रही है।

जल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है।

(ङ) जल जीवन मिशन (जेजेएम) कड़े गुणवत्ता नियंत्रण और तीसरे पक्ष के निरीक्षणों के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑनलाइन जेजेएम डैशबोर्ड और परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखी जाती है। सामुदायिक भागीदारी केंद्रीय है: 5.32 लाख से अधिक ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (वीडब्ल्यूएससी) स्थानीय प्रणालियों का प्रबंधन करती हैं और 24.80 लाख महिलाओं को स्थानीय जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मिशन में कई योजनाओं से वित्तपोषण की सामंजस्यता का प्रावधान है और संचालन तथा रखरखाव के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक सामुदायिक स्वामित्व और प्रभावी सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित होती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से जल गुणवत्ता का परीक्षण करने की सलाह दी जाती है। सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं आम जनता के लिए मामूली शुल्क पर खुली हैं, सहायता के लिए ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल का प्रावधान भी किया गया है।
